



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 410 राँची, मंगलवार,	30 आषाढ़, 1948 (श०)
	21 जुलाई, 2026 (ई०)

वित्त विभाग

अधिसूचना

1 जुलाई, 2026

अ०सं०-11/02(वे०पु०)-03/2014- 2037 / वि०--राज्य अंतर्गत विभिन्न सेवा संघों
द्वारा वेतन विसंगति, MACP एवं अन्य सेवा शर्तों में विसंगतियों के संबंध में उठाये जाने वाले
मांगों के समाधान तथा राज्य की विभिन्न सेवाओं की सेवा शर्तों में एकरूपता लाने हेतु, दिनांक
08.10.2024 को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-82 के अंतर्गत लिए गए निर्णय के
अनुपालन में, राज्य सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन निम्नवत रूप में किया
जाता है:-

1. सदस्य, राजस्व पर्षद् - अध्यक्ष
2. श्री अविनाश कुमार सिंह, - सदस्य
भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी
3. श्री ओम प्रकाश साह, - सदस्य
राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी
4. श्री राज नारायण सिंह, - सदस्य
राज्य पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी
5. श्री जयंत कुमार मिश्रा, - सदस्य
राज्य शिक्षा सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी
6. श्री उमेश मेहता, - सदस्य
राज्य अभियंत्रण सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी

2. उक्त समिति समय-समय पर राज्य की विभिन्न सेवा संघों द्वारा उठाई गई वेतन विसंगति, विभिन्न सेवाओं की सेवा शर्तों में एकरूपता लाने एवं MACP संबंधी मामलों का निराकरण के संबंध में सुझाव/अनुशंसा राज्य सरकार को समर्पित करेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,
सचिव
